

कृषि विस्तार इकाई की उपयोगिता:-

कृषि विस्तार योजना लागू होने से पूर्व एवं प्रारम्भिक काल में इस क्षेत्र के कृषक वर्षा आधारित फसलों जैसे मोट, तिल, बाजरा, एवं ग्वार इत्यादि की ही बुवाई करते थे इन वर्षा आधारित फसलों की उत्पादकता व उत्पादन न्यून मात्रा में होता था यह क्षेत्र मुख्यतया: पशुपालन व्यवसाय पर आधारित था। जिसके कारण परिणामतः इस क्षेत्र के कृषकों का आर्थिक व सामाजिक स्तर कमजोर था इस क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होने से इस क्षेत्र में सिंचित फसलों जैसे कपास, मूंगफली, गेहूँ, चना, सरसों, जीरा व ईसबगोल इत्यादि फसलों की बुवाई होने लगी है। इन फसलों की प्रति इकाई उत्पादकता अच्छी होने से उत्पादन बढ़ा है जिससे इस क्षेत्र के कृषकों का आर्थिक व सामाजिक स्तर भी बढ़ा है।

कृषि विश्वविद्यालयों व सिंचित क्षेत्र के ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों का किये गये अनुसंधानों को कृषकों के खेतों पर कृषि हस्तान्तरण की महत्वपूर्ण पद्धतियाँ जैसे कृषक प्रशिक्षण, फसल प्रदर्शन, कृषक मण्डल इत्यादि के माध्यम से पहुंचाये गये हैं इस क्षेत्र में बोयी जाने वाली फसलों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अनुसंधान कार्य सिंचित क्षेत्र विकास के अनुसंधान केन्द्रों पर किये जा रहे हैं इन कार्यों को खरीफ व रबी सीजन वाईज पुस्तिका में मुद्रित कर अधीनस्थ स्टाफ के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाया जा रहा है इसके अलावा फसलानुसार पम्पलेट भी कृषकों में वितरित किये जाते हैं।

इंगांनप द्वितीय चरण क्षेत्र की मृदा मुख्यतया: बलुई प्रकृति की है जिसके कारण फसलों को सिंचाई जल की जल्दी-जल्दी आवश्यकता रहती है इसके लिए जल प्रबन्धन की महत्वपूर्ण तकनीकी फव्वारा पद्धति से सिंचाई का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। कृषि अनुसंधान कार्यों की शीघ्रता से ग्राह्यता बढ़ाने हेतु कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं तथा कृषकों को क्षेत्र में बोयी जाने वाली फसलों की समस्त तकनीकों की जानकारी देने हेतु कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है।

1. कृषकों/लाभार्थियों से प्राप्त समस्याओं/शिकायतों का निवारण:-

कृषि विस्तार इकाई की गतिविधियों के अनुसार कृषकों की दो प्रकार की समस्याएँ/शिकायतें जानकारी में आती हैं। जिसके अन्तर्गत प्रथम समस्या/शिकायत जो कि उन्नत कृषि विधियों की जानकारी से संबंधित है। जिसका निवारण क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा कृषक से व्यक्तिगत संपर्क कर एवं कृषक प्रशिक्षणों तथा कृषक के खेत पर व्यक्तिशः निरीक्षण कर किया जाता है।

द्वितीय समस्या/शिकायत जो कि प्रोत्साहन योजनाओं से लाभावित होने से संबंधित है। जिसका निवारण लाभावित होने वाले कृषकों के आवेदन पत्र संबंधी कागजात इत्यादि की जाँच कर किया जाता है।

2. विशेष उल्लेखनीय कार्य:-

अ. टिड्डी नियंत्रण कार्य

वर्ष 2005-06 में माह अक्टूबर-नवम्बर में जैसलमेर जिले के नाचना, मोहनगढ व बीकानेर जिले के बज्जू, बीकमपुर, कोलायत क्षेत्र में टिड्डियों का भयंकर प्रकोप हुआ था। जिसके नियंत्रण हेतु विशेष नियंत्रण कक्ष बीकानेर, नाचना, मोहनगढ व बज्जू में स्थापित किये गये थे व समस्त स्टाफ को टिड्डी प्रकोप की जानकारी हेतु तैनात किया गया था। जिससे यह संभव हो सका कि टिड्डियों का प्रकोप विशेषकर सिंचित क्षेत्र जिसमें 150 किलोमीटर लम्बाई के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में तथा लगभग 80 किलोमीटर चौड़ाई में हुआ था। इस क्षेत्र में टिड्डियों को प्रकोप की प्राथमिक सूचना उचित समय पर कृषि विभाग राजस्थान व संबंधित जिला कलेक्टर बीकानेर व जैसलमेर तथा टिड्डी चेतावनी संगठन भारत सरकार को दी गई थी। इस संदर्भ में श्रीमान् निदेशक कृषि विभाग राजस्थान ने टिड्डियों के नियंत्रण हेतु उप निदेशक कृषि विस्तार सिंक्षेवि.इंगांनप. बीकानेर को विशेष वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार दिये। जिसकी पालना में टिड्डियों के नियंत्रण हेतु विशेष कैम्प नाचना(जैसलमेर) में स्थापित कर अधीनस्थ स्टाफ सहित जिला प्रशासन व टिड्डी चेतावनी संगठन के समन्वय से कार्य किया। यह सघन टिड्डी नियंत्रण अभियान 6 नवम्बर से 15 दिसम्बर-2005 तक चलाया गया। जिसमें कृषि विस्तार इकाई के समस्त स्टाफ ने सुबह 5:00 बजे से रात्रि को 11:00 बजे तक अथक प्रशासनीय कार्य किया। जिसके कारण यह संभव हो सका कि

खरीफ व रबी की फसलों को टिड्डियों के प्रकोप से कृषकों की अरबों रूपये की फसलों को बचाया गया। कृषि विस्तार द्वारा टिड्डियों के प्रकोप की सूचना को तत्परता से उच्चाधिकारियों को उचित समय पर संप्रेषण व टिड्डी नियंत्रण कार्यों को माननीय कृषि मंत्री महोदय व श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव कृषि व श्रीमान् निदेशक कृषि विभाग ने अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य बताया।

ब. संवत्-2061 में अकाल राहत के तहत फव्वारा सिंचाई हेतु डिग्गी का निर्माण

सिंचित क्षेत्र विकास के कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर किये गये अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि बहाव पद्धति की तुलना में फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने पर 48 प्रतिशत जल की बचत होती है। इस बचे हुए जल से लगभग दुगना सिंचित क्षेत्र बुवाई के अन्तर्गत लाया जा सकता है। फव्वारा सिंचाई की इसी उपयोगिता को मद्देनजर रखते हुए अकाल राहत विभाग ने जिला कलेक्टर बीकानेर व जैसलमेर के माध्यम से अकाल राहत के तहत सिंचाई हेतु डिग्गीयों के निर्माण का कार्य करवाया। अकाल राहत के तहत सिंचाई हेतु बीकानेर जिले में 144 डिग्गीयों का व जैसलमेर जिले में 57 डिग्गीयों का इस प्रकार इंगानप. द्वितीय चरण क्षेत्र में 201 डिग्गीयों का निर्माण करवाया गया था। इन डिग्गीयों के निर्माण हेतु राहत विभाग द्वारा श्रम मद के विरुद्ध गेहूँ द्वारा भुगतान किया गया तथा फव्वारा व ईंजन लगाने पर कृषि विभाग द्वारा अनुदान कृषकों को उपलब्ध करवाया गया। कृषि विभाग द्वारा फव्वारा व ईंजन लगाने पर 201 कृषकों को 23,11,394 रूपये अनुदान दिया गया। इस प्रकार कृषि विस्तार इकाई ने अपने मूल कार्य के अतिरिक्त अकाल राहत विभाग द्वारा दिये गये कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस कार्य के कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन को श्रीमान् जिला कलेक्टर बीकानेर व जैसलमेर ने अत्यन्त उल्लेखनीय बताया।